संख्या-596/2026/4295/नौ-5-2026/004-Com.No.1445206

प्रेषक,

देवेश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

(1) राज्य मिशन निदेशक (अमृत-2.0), निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(2) निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 12 अक्टूबर, 2026

विषयः- अमृत-2.0 योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश एवं उसके समतुल्य राज्यांश एवं निकायांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य मिशन निदेशक अमृत-2.0, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-एसएमएमयू/2985/39(11)/2026,दिनांक 29-09-2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-298/2026/2925/नौ-5-2026/002-1445206, दिनांक 17-07-2026 द्वारा अमृत-2.0 योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्राप्त केन्द्रांश एवं उसके सापेक्ष राज्यांश एवं निकायांश की कुल धनराशि **रू० 790.02 करोड़ (रूपये सात अरब नब्बे करोड़ दो लाख मात्र)** निम्नवत अवमुक्त की गयी थी:-

(धनराशि रूपये करोड़ में)

क्र०	निकाय	लेखा शीर्ष	SLS	Total (CA+State Share+ULB) as per MS dt.08-05-2025
1	2	3	4	5
1	अमृत-2.0(10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर)	2017-05-191-0105	UP-250	**200.00**
2	अमृत-2.0(1 लाख से 10 लाख अधिक जनसंख्या वाले शहर)	2217-05-192-0105	UP-251	**270.01**
3	अमृत-2.0(1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर)	2217-05-193-0105	UP-252	**320.00**
		योग -		**790.01**

3- उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 17-07-2026 द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-F.No.K-16015/02/2023-AMRUT-E-9155319, दिनांक 28-09-2026 द्वारा अमृत-2.0 योजनान्तर्गत Revised Mother Sanction जारी की गयी हैं, उक्त के क्रम में

राज्य मिशन निदेशक अमृत-2.0, नगरीय निकाय निदेशालय, द्वारा निम्नानुसार केन्द्रांश/राज्यांश/निकायांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है:-

(धनराशि रूपये करोड़ में)

क्र०	निकाय	लेखा शीर्ष	SLS	Total (CA+State Share+ULB) as per MS dt.08-05-2025	Revised MS Total(CA+State Share+ULB)	Revised MS Total(CA+State Share+ULB) Diffrence 7=5-6
1	2	3	4	5	6	7
1	अमृत-2.0 (10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर)	2017-05-191-0105	UP-250	200.00	40.00	-160.00
2	अमृत-2.0 (1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर)	2217-05-193-0105	UP-251	320.00	420.00	+100.00
3	अमृत-2.0(1 लाख से 10 लाख तक जनसंख्या वाले शहर)	2217-05-192-0105	UP-252	270.01	240.02	-29.99
		योग -		790.01	**700.02**	**100.00**

3- अत: अमृत-2.0, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 29-09-2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अमृत-2.0 योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा Revised Mother Sanction के अनुसार संशोधित केन्द्रांश/राज्यांश/निकायांश की कुल **रू० 100.00 करोड़ (रू० एक सौ करोड़ मात्र)** की धनराशि निम्नांकित विवरण, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन एस०एन०ए० स्पर्श प्रणाली के अंतर्गत नियमानुसार साइबर ट्रेजरी के माध्यम से उपरोक्त प्रस्तर-3 के अनुसार अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ के निवर्तन पर रखी जायेगी, जिसका भुगतान एस.एन.ए स्पर्श प्रणाली के अंतर्गत नियमानुसार साइबर ट्रेजरी के माध्यम से की जायेगी।

(2) उक्त धनराशि का व्यय अमृत-2.0 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों प्रतिबन्ध, दिशा-निर्देशों एवं गाइड लाइन के अनुसार किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।

(5) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि नगर निकाय के अंश की धनराशि को राजकोष में जमा किये जाने के उपरान्ह ही धनराशि का आहरण करेंगे।

(7) इस संबंध में 'सेंटेज चार्जेज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबंधन' सम्बंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19 मई, 2023 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,00,00,00,000 (रुपये एक अरब मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217051930105 अटल मिशन फार रिजूवनेशन एण्ड अरबन ट्रान्शफारमेशन के अन्तर्गत सहायता (अमृत- 2.0) (के.33.33/रा.50-के.+रा.) (1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर) मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या–E-9-118-X-2026-27-दिनांक 12-10-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally signed by
DEVESH MISHRA
Date: 12-10-2026 18:29:20

(देवेश मिश्र),

संयुक्त सचिव।

संख्या-596/2026/4295/नौ-5-2026/004-Com.No.1445206, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महालेखाकार(वर्क्स लेखा अनुभाग) उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
3- सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली ।
4- निदेशक (अमृत-2.0), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
5- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, इन्दिरा भवन,लखनऊ
8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
12- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(देवेश मिश्र),

संयुक्त सचिव।

Minus Sanction Report

Amount In : (Amounts in Lakhs of rupees)

नगर विकास

स्वीकृति आदेश संख्या: 003-Com.No.1445206 **स्वीकृति तिथि:** 30/09/2026
अनुदान संख्या: 37 - नगर विकास विभाग
लेखाशीर्षक: 2217051910105 - अटल मिशन फार रिजूवनेशन एण्ड अरबन ट्रान्शफारमेशन के अन्तर्गत सहायता (अमृत- 2.0) (के.25/रा.33.33-के.+रा.) (10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर)

(धनराशि लाख रुपये में)

मानक मद	Voted	Charged
35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	-16000	0
योग :	**-16000**	**0**

(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव

स्वीकृति आदेश संख्या: 003-Com.No.1445206 **स्वीकृति तिथि:** 30/09/2026
अनुदान संख्या: 37 - नगर विकास विभाग
लेखाशीर्षक: 2217051920105 - अटल मिशन फार रिजूवनेशन एण्ड अरबन ट्रान्शफारमेशन के अन्तर्गत सहायता (अमृत- 2.0) (के.33.33/रा.50-के.+रा.) (1 लाख से 10 लाख तक जनसंख्या वाले शहर)

(धनराशि लाख रुपये में)

मानक मद	Voted	Charged
35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	-2999	0
योग :	**-2999**	**0**

(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव

ई–मेल द्वारा

जारी
29/9/2026

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

पत्रांकः एसएमएमयू/2285/39(11)/2026 दिनांक 29 सितम्बर, 2026

विषयः– **अमृत–2.0 योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी Revised Mother Sanction, केन्द्रांश के समतुल्य राज्यांश एवं निकायांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक–F.No.K-16015/02/2023-AMRUT E-9155319 दिनांक 28.09.2026(प्रति संलग्न) द्वारा अमृत–2.0 योजनान्तर्गत **केन्द्रांश** के धनराशि की Revised Mother Sanction जारी की गयी है जिसके सापेक्ष अनुमन्य समतुल्य राज्यांश एवं नियाकांश की धनराशि का विवरण निम्नवत् है–

(रू. करोड़ में)

क्र. सं.	निकाय	लेखा शीर्ष	SLS	Amount of CA as per Mother Sanction dt. 14.07.2026	Revised Mother Sanction dt. 28.09.2026	Total (CA+State Share+ULB) as per MS dt. 14.07.2026	Revised MS Total (CA+State Share+ULB)	Diffrence 9=8-7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अमृत–2.0 (10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर)	2217-05-191-0105	UP-250	50.00	10.00	200.00	40.00	-160.00
2	अमृत–2.0 (1 से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहर)	2217-05-192-0105	UP-252	90.00	80.00	270.01	240.02	-29.99
3	अमृत–2.0 (1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर)	2217-05-193-0105	UP-251	160.00	210.00	320.00	420.00	+100.00
		योग–		**300.00**	**300.00**	**790.01**	**700.02**	

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा जारी मूल Mother Sanction दिनांक 14.07.2026 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा शासनादेश सं0–298/ 2026/2925/नौ–5–2026/ 002– Comp. No 1445206 दिनांक 17.7.2026 के द्वारा प्राप्त केन्द्रांश (रू. 300 करोड़) एवं उसके सापेक्ष राज्यांश (रू0 456.81 करोड़) एवं निकायांश (रू0 33.20 करोड़) की कुल धनराशि रू. 790.01 करोड़ अवमुक्त की गयी थी जिसे अब संशोधित करते हुये उक्त तालिका विवरण के अनुसार रू. 700.02 करोड़ आंकलित हो रही है।

अतः कृपया उपरोक्तानुसार अमृत–2.0 योजनान्तर्गत Revised Mother Sanction मद में प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष समतुल्य संशचोधित केन्द्रांश, राज्यांश एवं निकायांश की धनराशि, SLS UP-250 में रू. 160.00 करोड़ एवं UP-252 में रू. 29.99 करोड़ की बचत होगी तथा SLS UP-251 में रू. 100.00 करोड़ की धनराशि की आवश्यकता है। अतः SLS UP-250 एवं SLS UP-252 में से पुनर्वियोजन कर SLS UP-251 में अवमुक्त कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(मासूम अली सरवर)
राज्य मिशन निदेशक (अमृत एवं अमृत 2.0)

29.09.26